लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स सियाराम कंस्ट्रक्शन, साझेदारः श्री अमित कुमार, पताः लखीबाग, मानपुर, जिला–गया द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट–04, ग्राम–देगावन, अंचल–खिजिरसराय, जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 19.07.2023 को अपराह्न 03:30 बजे अंचल कार्यालय, खिजिरसराय, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2375/2023, dated 04-05-2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 19.07.2023 को अपराह्न 03:30 बजे अंचल कार्यालय, खिजिरसराय, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 17.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट–04, ग्राम–देगावन, अंचल–खिजिरसराय, जिला–गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा।

खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री संदीप सिंह, पिताः राम छबीला सिंह, पताः देवगॉव, जिलाः गया।	इनके द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण की रोक–थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि **वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। **जल प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। इसप्रकार श्री संदीप सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री कौशल शर्मा, पिताः विजय शर्मा, पताः हौटिया, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू की खुदाई (गहराई) से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर से ज्यादा नही की जायेगी। अगर लेसी द्वारा 03 मीटर से ज्यादा खुदाई की जा रही है, तो इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को किया जा सकता है। इसप्रकार श्री कौशल शर्मा को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

3.	श्री कुणाल कुमार, पिताः मुन्द्रिका सिह, गया।	इनके द्वारा रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री मुरारी यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री पिन्टु कुमार, पिताः मदन सिंह, गया।	इनके द्वारा बालू के खनन से पैन लेवल (पटवन) पर क्या प्रभाव पड़ेगा; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू के खनन से पैन लेवल (पटवन) उतना असर तो नही पड़ेगा क्योंकि यदि वर्षा होगी तथा नदी में पानी का बहाव होने से नदी का पैन लेवल (पटवन) मेंटेन हो जायेगा, जिससे आम नागरीको को कोई परेशानी नहीं होगी। इसप्रकार श्री पिन्टु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,
गया

अपर समाहर्त्ता,
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स सियाराम कंस्ट्रक्शन, साझेदारः श्री अमित कुमार, पताः लखीबाग, मानपुर, जिला–गया (गया फल्गू नदी बालू घाट–04, ग्राम–देगावन, अंचल–खिजिरसराय, जिला–गया) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 19.07.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, खिजिरसराय, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.	निविद भारती (MDO)	जिला उद्यान अधिकारी गया	[illegible] 19/7/23
3.	Mamta Circle Officer	Circle Office Khizirsarai	[illegible] 19/7/2023
4.			
5.	Amit Kumar 8126698100	Assistant Manager GRIPL, Noida	[illegible]
6.	Gaurav Kumar	Confluence Research India Pvt Ltd.	Gaurav 19/7/23
7.	[illegible]	ग्राम [illegible] थाना खिजरसराय [illegible]	[illegible]
8.	ओंकारनाथ सिंह पिता विजयनाथ सिंह	ग्राम – छोटोमा पो0 – [illegible] प्रखंड – खिजरसराय M-NO – 9934755131	[illegible]
9.	संदीप सिंह वार्ड पार्षद पिता राम [illegible]	देगावन	[illegible]

10.	कौशल शर्मा	छौंदीया	कौशल शर्मा
11.	ओंकार सिंह S/O मुनेश्वर सिंह	करपी 8862846777	ओंकार सिंह
12.	अमित कुमार S/O अशोक शर्मा	नगवा बिगहा 8651937350	अमित कुमार
13.	बिमलेश कुमार S/O उदय सिंह	बाना 9534422153	बिमलेश कुमार
14.	मनोज कुमार	बाना पब गोव	Manoj Kumar
15.	कुणाल कुमार पिता विनोद सिंह	देवगाव	Kunal K
16.	नवीन कुमार पिता अनील सिंह	देवगाँव	Navin Kum
17.	संजीव कुमार पिता रामकृपाल	वार्ड देवगाँव 9939211088	[signature]
18.	सोनू कुमार पिता : अमरेन्द्र नारायण सिंह	मनसा बिगहा देवगाँव 9525272734	SK
19.	अमीत कु०	देवगाँव	Amit
20.	संतोष कुमार जयश्री शर्मा	देवगाँव	संतोष कुमार

पट्टेधारक)

21.	गणेश कुमार	देवगाव	98 Ganesh 9835808760
22.	कुणाल कुमार	देवगाम	[illegible] 9973148205
23.	Vivek Kumar.	देवगाम	Vivek Kumar. 9934376222.
24.	राहुल कुमार	देवगाम	[illegible] 9155958227.
25.	[illegible]	पचरुखी	9708081655
26.	सन्नी कुमार	मंडला	Sny 9262721769
27.	[illegible]	देवगांव	[illegible]
28.	अंकुश कुमार	देवगाँव	Angler
29.	विकाश कुमार	देवगाँव	Vikash.
30.	सौरभ कुमार	देवगाँव	सौरभ कुमार
31.	दीपक कुमार		दीपक कुमार

32.	Gopal Kumar	देवगाम	[signature]
33.	विपिन कुमार	देवगांव	विपिन कुमार
34.	पवन कुमार	देवगांव	पवन कु
35.	शशि कुमार	देवगांव	Shashi Kum
36.	Sandeep Singh Ram	[illegible]	[signature]
37.	पंकज कुमार	देवगांव	पंकज कुमार
38.	रवि कुमार	देवगांव	[signature] कुमार
39.	काली यादव	देवगांव	Kali Yadav
40.	Siyaram Contractor Lakhibag Mani Amit Kumar	Lakhibag, Mandar Nagar	[signature]
41.			
42.			